

प्रेषक:-

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं  
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,  
लिंग रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु अलीराजपुर वन मण्डल की 6.654 हेक्टेयर वनभूमि एवं धार वन मण्डल की 237.385 हेक्टेयर वनभूमि कुल 244.039 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 248.329 हे.) पश्चिम रेलवे बड़ोदरा, को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/RAIL/154962/2022)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/6-MPR015/2023-BHO दिनांक 21.10.2023

-----0-----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 03 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-


क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन																																																																
1	As per Site Inspection Report certain CA areas are not suitable for plantation. The State Govt. shall submit revised CA areas, KML files and related documents. Compartment & Area wise details of the CA areas not fit for plantation, are given below:-	प्रकरण में आपके द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में संशोधित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर ऑनलाईन भाग-2 में अपलोड कर दी गई है, जिसका विवरण निम्न है:- <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Proposed CA Area (ha)</th> <th>Location/ Compartment No.</th> <th>Remark</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>35.00</td> <td>कक्ष क्र.-469, परिक्षेत्र सरदारपुर</td> <td>नवीन स्थल</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>45.00</td> <td>---"<!-----</td--> <td>---"<!-----</td--> </td></td></tr> <tr> <td>3</td> <td>90.00</td> <td>कक्ष क्र.-359, परिक्षेत्र सरदारपुर</td> <td>---"<!-----</td--> </td></tr> <tr> <td>4</td> <td>50.00</td> <td>कक्ष क्र.-378, परिक्षेत्र सरदारपुर</td> <td>---"<!-----</td--> </td></tr> <tr> <td>5</td> <td>25.00</td> <td>कक्ष क्र.-476, परिक्षेत्र सरदारपुर</td> <td>---"<!-----</td--> </td></tr> <tr> <td>6</td> <td>30.00</td> <td>---"<!-----</td--> <td>---"<!-----</td--> </td></td></tr> <tr> <td>7</td> <td>38.00</td> <td>कक्ष क्र.-37, परिक्षेत्र बाग</td> <td>---"<!-----</td--> </td></tr> <tr> <td>8</td> <td>30.00</td> <td>कक्ष क्र.418, परिक्षेत्र बाग</td> <td>---"<!-----</td--> </td></tr> <tr> <td>9</td> <td>30.00</td> <td>कक्ष क्र.-419, परिक्षेत्र बाग</td> <td>---"<!-----</td--> </td></tr> <tr> <td>10</td> <td>20.00</td> <td>कक्ष क्र.-99, परिक्षेत्र टाण्डा</td> <td>यथावत</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>15.00</td> <td>कक्ष क्र.-92, परिक्षेत्र टाण्डा</td> <td>यथावत</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>30.00</td> <td>कक्ष क्र.-40, परिक्षेत्र टाण्डा</td> <td>यथावत</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>30.00</td> <td>कक्ष क्र.-44, परिक्षेत्र टाण्डा</td> <td>यथावत</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>12.00</td> <td>कक्ष क्र.-40, परिक्षेत्र टाण्डा</td> <td>यथावत</td> </tr> <tr> <td></td> <td>480.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Proposed CA Area (ha)	Location/ Compartment No.	Remark	1	35.00	कक्ष क्र.-469, परिक्षेत्र सरदारपुर	नवीन स्थल	2	45.00	---" ---</td <td>---"<!-----</td--> </td>	---" ---</td	3	90.00	कक्ष क्र.-359, परिक्षेत्र सरदारपुर	---" ---</td	4	50.00	कक्ष क्र.-378, परिक्षेत्र सरदारपुर	---" ---</td	5	25.00	कक्ष क्र.-476, परिक्षेत्र सरदारपुर	---" ---</td	6	30.00	---" ---</td <td>---"<!-----</td--> </td>	---" ---</td	7	38.00	कक्ष क्र.-37, परिक्षेत्र बाग	---" ---</td	8	30.00	कक्ष क्र.418, परिक्षेत्र बाग	---" ---</td	9	30.00	कक्ष क्र.-419, परिक्षेत्र बाग	---" ---</td	10	20.00	कक्ष क्र.-99, परिक्षेत्र टाण्डा	यथावत	11	15.00	कक्ष क्र.-92, परिक्षेत्र टाण्डा	यथावत	12	30.00	कक्ष क्र.-40, परिक्षेत्र टाण्डा	यथावत	13	30.00	कक्ष क्र.-44, परिक्षेत्र टाण्डा	यथावत	14	12.00	कक्ष क्र.-40, परिक्षेत्र टाण्डा	यथावत		480.00		
No.	Proposed CA Area (ha)	Location/ Compartment No.	Remark																																																															
1	35.00	कक्ष क्र.-469, परिक्षेत्र सरदारपुर	नवीन स्थल																																																															
2	45.00	---" ---</td <td>---"<!-----</td--> </td>	---" ---</td																																																															
3	90.00	कक्ष क्र.-359, परिक्षेत्र सरदारपुर	---" ---</td																																																															
4	50.00	कक्ष क्र.-378, परिक्षेत्र सरदारपुर	---" ---</td																																																															
5	25.00	कक्ष क्र.-476, परिक्षेत्र सरदारपुर	---" ---</td																																																															
6	30.00	---" ---</td <td>---"<!-----</td--> </td>	---" ---</td																																																															
7	38.00	कक्ष क्र.-37, परिक्षेत्र बाग	---" ---</td																																																															
8	30.00	कक्ष क्र.418, परिक्षेत्र बाग	---" ---</td																																																															
9	30.00	कक्ष क्र.-419, परिक्षेत्र बाग	---" ---</td																																																															
10	20.00	कक्ष क्र.-99, परिक्षेत्र टाण्डा	यथावत																																																															
11	15.00	कक्ष क्र.-92, परिक्षेत्र टाण्डा	यथावत																																																															
12	30.00	कक्ष क्र.-40, परिक्षेत्र टाण्डा	यथावत																																																															
13	30.00	कक्ष क्र.-44, परिक्षेत्र टाण्डा	यथावत																																																															
14	12.00	कक्ष क्र.-40, परिक्षेत्र टाण्डा	यथावत																																																															
	480.00																																																																	

		प्रकरण में धार वन मण्डल में प्रभावित 237.385 हेक्टेयर के बदले उपरोक्तानुसार 480.00 हेक्टेयर एवं वन मण्डल अलीराजपुर के परिक्षेत्र जोबट के कक्ष क्रमांक 39 में 14.00 हेक्टेयर कुल 494.00 हेक्टेयर की योजना बनाई गई है, जो ऑनलाईन भाग-2 में अपलोड है।
2	The User Agency/ State Govt. shall submit layout plan of Railway Station and submit KML file accordingly.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया गया रेल्वे स्टेशन का ले-आउट प्लान एवं KML file परिवेश पोर्टल के भाग-2 में अपलोड कर दी गई है।
3	The State Govt. shall submit Action Taken Report against the responsible persons for violation in Alirajpur Forest Division.	वन मण्डल अधिकारी, अलीराजपुर ने अपने पत्र दिनांक 01.11.2023 द्वारा प्रकरण में हुए उल्लंघन में जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जो संलग्न है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(एच.एस. मोहन्ता)


भोपाल, दिनांक 21/11/2023

पृ. क्रमांक/एफ-5/1259/2023/10-11/5075

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), इन्दौर वृत्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, धार एवं अलीराजपुर, मध्यप्रदेश।
3. उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II), पश्चिम रेल्वे, बड़ोदरा।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

# कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, अलीराजपुर (म0प्र0)

फारेस्ट केम्पस, खण्डवा बडौदा रोड, अलीराजपुर-457887

Tel & Fax No. 07394-234530

E-mail : dfot.alp@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2023/ 5002  
प्रति,

दिनांक : 01/11/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
भू-प्रबंध, सतपुड़ा भवन भोपाल

विषय :- धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा-उदयपुर से धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन निर्माण के निर्माण हेतु अलीराजपुर वन मण्डल की 6.654 हेक्टेयर वनभूमि एवं धार वन मण्डल की 237.385 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 248.329 हेक्टेयर) पश्चिम रेलवे बडौदरा, को उपयोग पर देने बाबत।  
(FP/MP/RAIL/154962/2022)

संदर्भ :- 1) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/6MPR 015/2023-BHO दिनांक 21.10.2023।  
2) आपका पत्र क्रमांक/एफ-5/1259/2023/10-11/4744 दिनांक 23.10.2023।  
3) उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम रेलवे, वडौदरा का पत्र क्र./115/19 दिनांक 06.10.2023।

— ★ —

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत निवेदन है कि छोटा-उदयपुर से धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन निर्माण 6.654 हेक्टेयर योजना अन्तर्गत भारत सरकार के संदर्भित पत्र से चाही गई बिन्दु क्रमांक-3 की जानकारी निम्नानुसार है।  
उप अभियंता, (निर्माण) बडौदा, गुजरात के पत्र क्रमांक/115/19 दिनांक 06.10.2023 से प्राप्त जानकारी अनुसार निर्माण अवधि व पदस्थ रहे अधिकारी/कर्मचारी का विवरण निम्नानुसार है।

निर्माण अवधि	रेल्वे लाईन निर्माण स्थल	निर्माण अवधि में पदस्थ वनपाल	निर्माण अवधि में पदस्थ वनरक्षक
अप्रैल 2019 से अगस्त 2019 जुलाई 2019 से सितम्बर 2019 जुलाई 2019 से नवम्बर 2019 जुलाई 2020 से मार्च 2021	अर्थ वर्क चेनेज 80240 से 80820 अर्थ वर्क चेनेज 80240 से 80880 ब्रीज नंबर 230 ब्रीज नंबर 231	श्री गुमचन्द्र मावी, वनपाल, वनपरिक्षेत्र सहायक हरदासपुर	श्री हीरालाल अलावा, वनरक्षक, बीटगार्ड बलेडी श्री रमेश भुरिया, वनरक्षक, बीटगार्ड बलेडी

वनमण्डल कार्यालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में किए गये अवैध निर्माण के संबंध में अबतक की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है।

- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./23/2366 दिनांक 19.05.23 से पदस्थ रहे वनपाल, वनपरिक्षेत्र सहायक हरदासपुर श्री गुमचन्द्र मावी को स्पष्टिकरण जारी किया गया व पत्र क्रमांक/मा.चि./2023/4899 दिनांक 20.10.23 से अंतिम कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया है।
- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./23/2368 दिनांक 19.05.23 से पदस्थ रहे वनरक्षक, बीटगार्ड बलेडी श्री गुमचन्द्र मावी को स्पष्टिकरण जारी किया गया व पत्र क्रमांक/मा.चि./23/4899 दिनांक 20.10.23 से अंतिम कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया है।
- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./23/2368 दिनांक 19.05.23 से पदस्थ रहे वनरक्षक, बीटगार्ड बलेडी श्री रमेश भुरिया को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया।

उपरोक्त प्रकरण में चाहे कारण बताओं सूचना पत्र का उत्तर प्राप्त होने पर संबंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक वैधानिक कार्यवाही कर इस संबंध में पृथक से अवगत कराया जावेगा।  
अतः प्रतिवेदन सादर प्रेषित है।

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल अलीराजपुर

दिनांक : 01/11/2023

पृ0 क्रमांक/मा.चि./2023/ 5002  
प्रतिलिपि :-

- मुख्य वन संरक्षक, वृत्त इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम रेलवे, वडौदरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल अलीराजपुर

By E-mail  
08.11.23

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय वन मंडल अधिकारी धार वनमंडल  
माण्डव रोड़ धार (म.प्र.) 454001

Phone 07292-222250, Email - dfotdhar@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2023/7713  
प्रति,

धार, दिनांक 06/11/2023

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्य प्रदेश, भोपाल

विषय :-

धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु अलीराजपुर वन मण्डल की 6.654 हेक्टेयर वनभूमि एवं धार वन मण्डल की 237.385 हेक्टेयर वनभूमि कुल 244.039 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 248.329 हे.) पश्चिम रेलवे बड़ोदरा, को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/RAIL/154962/2022)

संदर्भ :-

आपका पत्र क्रमांक/एफ-5/1259/2023/10-11/4744 दिनांक 23.10.2023

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि छोटा उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा 03 बिन्दुओं की निम्नानुसार जानकारी चाही गई थी-

- 1- As per Site Inspection Report certain CA areas are not suitable for plantation. The State Govt. shall submit revised CA areas, KML files and related documents. Compartment & Area wise details of the CA areas not fit for plantation, are given below:- नवीन वृक्षारोपण योजना को ऑनलाईन परिवेश परिवेश पोर्टल पर मय के.एम.एल. फाईल के अपलोड कर दिया गया है। नवीन 09 योजना एवं पुरानी 05 कुल 14 साईट्स निम्नानुसार है-

No.	Proposed CA Area (ha)	Location/Compartment No.	Remarks
1	✓ 35.00	469 फुल्कीपाडा, परिक्षेत्र सरदारपुर	नवीन चयनित स्थल
2	✓ 45.00	469 फुल्कीपाडा, परिक्षेत्र सरदारपुर	नवीन चयनित स्थल
3	✓ 90.00	359 हाण्डिया कुण्डिया, परिक्षेत्र सरदारपुर	नवीन चयनित स्थल
4	50.00	378 शिवगढ़, परिक्षेत्र सरदारपुर	नवीन चयनित स्थल
5	25.00	476 वाक्यापाडा, परिक्षेत्र सरदारपुर	नवीन चयनित स्थल
6	30.00	476 वाक्यापाडा, परिक्षेत्र सरदारपुर	नवीन चयनित स्थल
7	38.00	37 बड़कच्छ, परिक्षेत्र बाग	नवीन चयनित स्थल
8	30.00	418 कदवाल, परिक्षेत्र बाग	नवीन चयनित स्थल
9	30.00	419 कदवाल, परिक्षेत्र बाग	नवीन चयनित स्थल
✓ 10	20.00	99 कणदा, परिक्षेत्र टाण्डा	यथावत
✓ 11	15.00	92 कणदा, परिक्षेत्र टाण्डा	यथावत
12	30.00	40 खनिअम्बा, टाण्डा	यथावत
13	30.00	44, खनिअम्बा, टाण्डा	यथावत
14	12.00	40 खनिअम्बा, टाण्डा	यथावत
कुल	480.00	-	-

02 The User Agency/State Govt. shall submit layout plan of Railway Station and submit KML file accordingly.- आवेदक विभाग द्वारा रेलवे स्टेशन का ले-आउट प्लान एवं के.एम.एल. फाईल इस कार्यालय को प्रदाय की गई है, जो परिवेश पोर्टल के एडिशन सेक्शन में मय के.एम.एल. फाईल के एड कर दिया गया है।

ACCF letter




अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

Page..... 8

03 The State Govt. Shall submit Action Taken Report against the responsible persons for violation in Alirajpur Forest Division.— उक्त जानकारी वनमण्डल अलीराजपुर द्वारा अपर पंधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल कार्यालय में उपलब्ध करा दी गई है।  
प्रकरण में चाही गई 03 बिन्दुओं की पूर्ति की जाकर आगामी कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

  
वन मण्डलाधिकारी,  
(क्षे.)वन मण्डल धार


पृ.क्रमांक / मा.चि. / 2023 / 7714

धार, दिनांक 06 / 11 / 2023

प्रतिलिपि :- 01 मुख्य वन संरक्षक (क्षे.) इन्दौर वृत्त इन्दौर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

02 वन मण्डल अधिकारी, अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

03 Deputy Chief Engineer (Construction) II, Western Railway, Pratapnagar,  
Vadodara 390004 Gujarat

  
वन मण्डलाधिकारी,  
(क्षे.)वन मण्डल धार